वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

4-10(39/Hqrs.)/2023-HR-II

Dated 02.04.2025

From

सयुंक्त सचिव (प्रशासन)
The Joint Secretary (Admn.)

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख।

विषय: - **जाति/समुदाय प्रमाण पत्र का समय पर सत्यापन के संबंध में**

महोदया/ महोदय

कृपया सीएसआईआर के दिनांक 14.07.2023 के पत्र संख्या 5-1(39)/2008-पीडी की ओर ध्यान आकृष्ट करें, जिसमें सभी सीएसआईआर-प्रयोगशालाओं/संस्थानों को निर्देश दिया गया था कि वे अभी तक सत्यापन के लिए लंबित जाति/समुदाय प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु तत्काल कार्रवाई करें तथा इस सन्दर्भ में मासिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सत्यापन प्रक्रिया पत्र जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण की जाने की आशा थी। हालाँकि, इन निर्देशों के बावजूद केवल कुछ ही प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने वर्ष 2023 के लिए अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इसके अतिरिक्त सीएसआईआर ने अपने दिनांक 05.08.2024 के पत्र संख्या 4-10(39/मुख्यालय)/2023- एचआर-II में उन सभी पदाधिकारियों के जाति/समुदाय प्रमाण पत्रों को अतिशीघ्र सत्यापित करने के निर्देश को दोहराया है जिनके प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए लंबित है। इसका उद्देश्य संबंधित श्रेणी में संबंधित व्यक्ति के वास्तविक दावेदारी को सुनिश्चित करना है। अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 11 अगस्त 2024 से पहले ईमेल द्वारा sohrii@csir.res.in पर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हालाँकि, बार-बार याद दिलाने और अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद कई प्रयोगशालाओं ने अभी तक आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है और कुछ मामलों में 2024 के लिए केवल आंशिक डेटा ही प्रस्तुत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, समेकित रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं की जा सकी है।

अतः सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों से पुनः एक बार अनुरोध किया जाता है कि वे जाति/समुदाय प्रमाण पत्रों के सत्यापन के सभी लंबित मामलों में तत्काल कार्रवाई करें तथा स्थिति रिपोर्ट इस कार्यालय को ईमेल द्वारा दिनांक 04 अप्रैल 2025 तक sohrii@csir.res.in पर भेजें।

भवदीया,

(पूर्णिमा अरोड़ा)
अवर सचिव

Copy to: - 1) CSIR-आईटी सेल - CSIR पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
2) कार्यालय प्रति

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

4-10(39/Hqrs.)/2023-HR-II

Dated 05.08.2024

From

सयुंक्त सचिव (प्रशासन)
The Joint Secretary (Admn.)

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख।

विषय: - **जाति/समुदाय प्रमाण पत्र का समय पर सत्यापन के संबंध में**

महोदया/ महोदय

सीएसआईआर के पत्र संख्या 5-1(39)/2008-पीडी दिनांक 14.07.2023 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें सभी सीएसआईआर-प्रयोगशालाओं/संस्थानों को सलाह दी गई थी कि वे उन कर्मचारियों/अधिकारियों के जाति/समुदाय प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें जिनका प्रमाणपत्र आज तक सत्यापित नहीं हुआ है। यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि संबंधित व्यक्ति उक्त प्रवर्ग का वास्तविक दावेदार है। ये सभी प्रक्रियाएं सीएसआईआर के पत्र दिनांक 14.07.2023 के जारी होने के तीन महीने के भीतर पूरी होनी थीं। इसके अलावा, जाति/समुदाय प्रमाणपत्रों के सभी असत्यापित मामलों का रिकॉर्ड रखने और उनके निपटान के लिए उनकी बारीकी से निगरानी करने और एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों के जाति/समुदाय प्रमाणपत्रों के असत्यापित मामलों की स्थिति के बारे में मासिक आधार पर इस कार्यालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था।

सीएसआईआर के दिनांक 14.07.2023 के पत्र के जवाब में प्रयोगशालाओं/संस्थानों से प्राप्त जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पाया गया है कि कई पुराने मामले सत्यापन के लिए लंबित हैं और यहां तक कि 1988 का एक मामला सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों में जाति/समुदाय प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा इस विषय पर दिए गए निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः एक बार फिर यह सलाह दी जाती है कि उन सभी पदाधिकारियों के जाति/समुदाय प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए जिनके प्रमाण पत्र आज तक सत्यापित नहीं किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित व्यक्ति उक्त प्रवर्ग का वास्तविक दावेदार है, और 11 अगस्त, 2024 को या उससे पहले इस कार्यालय को sohrii@csir.res.in पर ईमेल के माध्यम से इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी ने यह भी अनुदेश दिया है कि सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/प्रमुख अपने वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/ प्रशासन नियंत्रक/ प्रशासनिक अधिकारी के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करें, ताकि इस विषय पर दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा सके तथा सभी लंबित सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा सकें।

भवदीया,

पूर्णिमा

(पूर्णिमा अरोड़ा)
अवर सचिव

Copy to: - 1) CSIR-आईटी सेल - CSIR पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
2) कार्यालय प्रति